न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 125/2024 **दायर दिनांकः 24.09.2024**

उनवान

1. बजरंगलाल पि. शिवलाल जाति रूहेला नि. सरडा तहसील अकलेरा
2. धन्नालाल पि. शिवलाल जाति रूहेला नि. सरडा तहसील अकलेरा
3. हीरालाल पि. शिवलाल जाति रूहेला नि. सरडा तहसील अकलेरा

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील रायपुर जिला झालावाड

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :—
वकील प्रार्थी :— श्री मिथलेश टेलर
अप्राथी :— पैरोकार सरकार

आदेश दिनांक : 29.11.2024

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम रायपुर तहसल रायपुर में स्थित खाता सं. 638 ख.नं. 2616/1 रकबा 0.3794 है. आराजी स्थित है। पैरा सं. 1 में दर्ज आराजी का प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 03.09.2020 को कय पत्र जरिये खरीद की गई जिसका पंजीयन दिनांक 03.09.2020 को तहसील पिडावा उप पंजीयक द्वारा लेखबद्ध किया गया। यह कि बेचान पत्र के आधार पर रोटेशन जमाबंदी में नामा. गलत तस्दीक कर राजस्व कर्मचारियों की सहवन से गलत दर्ज हो गया है जो काबिल दुरूस्त योग्य है। यह कि दिनांक 03.09.2020 को पिडावा तहसील में बेचान पत्र तस्दीक किया गया था। तस्दीक किये गये दस्तावेज के आधार पर रोटेशन जमाबंदी में नाम नामा. करते वक्त राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से प्रार्थीगण का नाम बजरंगलाल, धन्नालाल, हीरालाल पिस. शिवलाल के [illegible] बजरंगलाल, धन्नालाल, हीरालाल पिस. बद्रीलाल दर्ज हो गया है जिससे जमाबंदी खाता सं. 638 ख.नं. 2616 में दर्ज हो गया है जो गलत है। उक्त त्रुटि राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.11 11:34:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिडावा जिला झालावाड (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

विभाग द्वारा शुद्ध किया जाना न्यायहित में आवश्यक हो चुका है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि बेचान पत्र दिनांक 03.09.2020 के मुताबिक नामा.दर्ज किये जाने के आदेश तहसील रायपुर को प्रदान किये जाने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। पैरोकार सरकार की तलबी जर्ये सम्मन की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र क. भू.अ./2024/846 दिनांक 28.10.2024 को पेश किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पेश जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि उक्त प्रकरण के संबंध में पटवारी हल्का से जांच करवाई गई। जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के पिता का नाम ग्राम रायपुर की जमाबंदी सं. 2073–76 के खाता सं. 638 के ख.नं. 2616/1 रकबा 0.3794 है. में धन्नालाल 1/3, बजरंगलाल 1/3, हीरालाल 1/3 पुत्र बद्रीलाल जाति रूहेला के नाम दर्ज है लेकिन प्रार्थीगण ने रजिस्ट्री दिनांक 03.09.2020 को करवायी थी जिसमें उनके पिता का नाम शिवलाल ही दर्ज था। नामा.सं. 3526 दिनांक 20.10.2020 को दर्ज किया गया उसमें इनके पिता का नाम बद्रीलाल दर्ज कर दिया है। इस बाबत प्रार्थीगण द्वारा रजिस्ट्री पेश की गई है जिसमें प्रार्थीगण धन्नालाल, बजरंगलाल, हीरालाल पुत्र शिवलाल जाति रूहेला नि. सरडा दर्ज है।

3. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में रजिस्टर्ड बेचान पत्र दिनांक 03.09.2020 की छायाप्रति, ग्राम रायपुर की जमाबंदी सं. 2073–76 के खाता सं. 638, 617, 1046 की छायाप्रति पेश की।

4. अप्रार्थी पेरोकार सरकार की ओर से पटवारी हल्का रायपुर की रिपोर्ट, बेचान पत्र दिनांक 03.09.2020 की छायाप्रति, ग्राम रायपुर की जमाबंदी सं. 2073–76 के खाता सं. 638, 617, 1046 की छायाप्रति एवं नामा.सं. 3526 दिनांक 20.10.2020 की प्रमाणित पेश की।

5. वकील प्रार्थीगण एवं पैराकार सरकार की ब[illegible] गई। वकील प्रार्थीगण ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.09.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.11 11:34:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

2020 से ग्राम रायपुर के खाता सं. 638 ख.नं. 2616/1 रकबा 0.3794 है. आराजी खरीद की थी जिसका राजस्व कर्मचारियों द्वारा नामा.सं. 3526 दिनांक 20.10.2020 को दर्ज कर तस्दीक किया गया। राजस्व कार्मिको द्वारा उक्त नामान्तरण में प्रार्थीगण के पिता का नाम शिवलाल के स्थान पर सहवन से बद्रीलाल दर्ज कर दिया जिससे जमाबंदी में प्रार्थीगण के पिता का गलत नाम ब्रदीलाल दर्ज हो गया जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। वकील प्रार्थीगण ने बहस के दौरान आगे कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 03.09.2020 को पंजीबद्ध करवाये विलेख पत्र में बजरंगलाल, धन्नालाल, हीरालाल पिस. शिवलाल सही नाम दर्ज करवाये परन्तु राजस्व कार्मिको द्वारा नामा.सं. 3526 दर्ज करने में प्रार्थीगण का नाम बजरंगलाल, धन्नालाल, हीरालाल पिस. शिवलाल के स्थान पर बजरंगलाल, धन्नालाल, हीरालाल पिस. बद्रीलाल दर्ज कर दिया जिस कारण प्रार्थीगण को अपनी आराजी का विकास करने, ऋण लेने एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओ का लाभ प्राप्त करने में भारी परेशानियों को सामना करना पड रहा है। अतः उक्त त्रुटी को शुद्ध किया जाकर रजिस्टर्ड बेचान पत्र दिनांक 03.09.2020 के मुताबिक नामा.दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने की कृपा करें।

6. पैरोकार सरकार द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम रायपुर की जमाबंदी सं. 2073–76 के खाता सं. 638 के ख.नं. 2616/1 रकबा 0.3794 है. में धन्नालाल 1/3, बजरंगलाल 1/3, हीरालाल 1/3 पुत्र बद्रीलाल जाति रूहेला के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 03.09.2020 को करवायी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जिसमें प्रार्थीगण धन्नालाल, बजरंगलाल, हीरालाल पुत्र शिवलाल जाति रूहेला नि. सरडा दर्ज है परन्तु नामा.सं. 3526 दिनांक 20.10.2020 को दर्ज करते समय प्रार्थीगण के पिता का नाम बद्रीलाल दर्ज कर दिया गया। जिससे जमाबंदी में गलत नाम का अंकन हो गया जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायहित में उचित है।

7. वकील प्रार्थीगण एवं पैराकार सरकार की [illegible] इस प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम रायपुर की जमाबंदी सं. 2073–76

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.11 11:34:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

के खाता सं. 638 के ख.नं. 2616/1 रकबा 0.3794 है. के संबंध में दिनांक 03.09.2020 को निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अनुसार उक्त आराजी को विकेता खातेदार मांगीलाल पि. कन्हैयालाल सुनार नि. रायपुर से केतागण ब्रजेश कुमार पि. मनोहरसिंह और बजरंगलाल, धन्नालाल, हीरालाल पिस. शिवलाल तथा शम्भूसिंह, पूनमचन्द पिरा. ब्रदीलाल जाति रूहेला नि. सरडा के नाम दर्ज है परन्तु नामा.सं. 3526 में प्रार्थीगण बजरंगलाल, धन्नालाल, हीरालाल के पिता का नाम शिवलाल के स्थान पर ब्रदीलाल दर्ज कर दिया गया जो कि सही नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा पेश रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 03.09.2020 से साबित है। अतः राजस्व रिकार्ड में खातेदार के नाम अंकन में हुई त्रुटी को उभयपक्षकार की सहमति से धारा 136 एलआरएक्ट के अधीन दुरूस्त किया जाना न्यायोचित होगा।

8. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर ग्राम रायपुर की जमाबंदी सं. 2073–76 के खाता सं. 638 के ख.नं. 2616/1 रकबा 0. 3794 है. कृषि भूमि के संबंध में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विष्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 बावत दुरस्ती इन्द्राज न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम रायपुर की जमाबंदी सं. 2073–76 के खाता सं. 638 के ख.नं. 2616/1 रकबा 0.3794 है. में प्रार्थीगण का नाम बजरंगलाल, धन्नालाल, हीरालाल पिस. बद्रीलाल के स्थान पर बजरंगलाल, धन्नालाल, हीरालाल पिस. शिवलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार रायपुर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करे।

यह निर्णय आज दिनांक 29.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.11 11:34:47 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश [illegible] ा, आरएएस)
[illegible] अधिकारी
[illegible] झालावाड़ राज0

Scanned with OKEN Scanner